न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्र.प. संख्या 60/2019

1. आरती कंवर पत्नी गजेन्द्र सिंह
2. किरण कंवर पत्नी राम सिंह
3. गजेन्द्र सिंह पुत्र तुगन सिंह
4. महिपाल सिंह पुत्र राम सिंह
5. सायर कंवर पत्नी तुगन सिंह
6. सायर कंवर उर्फ अजन कंवर पत्नी रूघ सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण तारपुरा तहसील व जिला सीकर

–आवेदकगण–

बनाम

1- मोहन सिंह दत्तक पुत्र दयाल सिंह जाति राजपूत निवासी तारपुरा तह0 व जिला सीकर

2- रामचन्द्र सिंह पुत्र हीरा

3- रामलाल पुत्र हीरा समस्त जाति जाट निवासीगण दादिया तह0 व जिला सीकर

4- तहसीलदार सीकर

–अनावेदकगण–

5- इन्द्र कंवर पत्नी अमर सिंह

6- नरपत सिंह पुत्र अमर सिंह

7- लक्ष्मण सिंह पुत्र अमर सिंह

8- सुरेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह

9- रिछपाल सिंह पुत्र तख्त सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण तारपुरा तहसील व जिला सीकर

10- हेमन्त कुमार पुत्र नन्दलाल जाति महाजन निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

– औपचारिक अनावेदकगण–

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

7/6/22

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

आदेश

दिनांक – 6.7.22

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्राथीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 10 के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 1.2000 है0 ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। अनावेदक संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 179 रकबा 0.3000 है0 गै.मू. रास्ता व अनावेदक संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 180 रकबा 1.2200 है0 ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। अनावेदक संख्या 1 का खेत आम रास्ता ख0नं0 179 ख0 नं0 178 से टच होता है तथा अनावेदक संख्या 2 व 3 की कृषि भूमि ख0 नं0 180 खसरा नम्बर 179 के पूर्व में सींवा जोड़ है तथा खसरा नम्बर 180 के पूर्व में आवेदकगण का खसरा नम्बर 197 सींवा जोड़ अवस्थित है। आवेदकगण के खसरा नम्बर 197 में आवागमन हेतु केवल पगडंडी छोड़ी हुई है व चौड़ा रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण खेत में जुताई व बुआई में बाधा आती है इसलिये आवेदकगण के खेत तक पहुंचने के लिये 9 मीटर चौड़ा रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता है। इस रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार आवेदकगण को खसरा नम्बर 178 आम रास्ता से खसरा नम्बर 178 में होते हुऐ खसरा नम्बर 197 में पहूंचने हेतु 9 मीटर चौड़ारा रास्ता खसरा नम्बर 179 व 180 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे दिये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रकरण प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार से रास्ते बाबत नियमानुसार प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 10 जरिये वकील उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 197 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 253 की सीमा के सहारे–सहारे सदैव से आवागमन करते आ रहे है तथा 30 फिट चौड़े रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं होती है और ना ही है। अनावेदक संख्या 2 व 3 ने खसरा नम्बर 180 की भूमि वर्षों पहले क्रय की थी। तब से लेकर आजतक आवेदकगण को खसरा नम्बर 253 की सीमा के सहारे सहारे ही आवागमन करते हुऐ देखा है जवाबदातागण के खेत में से कभी रास्ता नहीं रहा ना ही वर्तमान में मौजूद है। अनावेदक संख्या 10 ने ख0नं0 197 में से कुछ जमीन क्रय की थी जिसमें दुकानों व मकान का निर्माण किया गया जिसमें आने जाने के लिये आवेदकगण को उकसा कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। व्यवसायिक प्रयोजन के लिये रास्ते बाबत सुनवाई का

अधिकार श्रीमान् को प्राप्त नहीं है। इसलिये आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। अन्य अनावेदकगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । प्रकरण में तहसीलदार से प्रस्ताव क्रमांक 25 दिनांक 31.11.2021 प्राप्त हुऐ जिस पर आपत्ति होने पर तहसीलदार से प्रस्ताव पुनः प्राप्त किये गये । तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 849 दिनांक 23.06. 2022 को भिजवाये गये।

बहस वकील उभय पक्ष सूनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराया एवं जवाब आवेदन के तथ्यों का खण्डन किया । वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराया एवं आवेदन के तथ्यों व रिपोर्ट तहसीलदार का खण्डन किया।

हमने बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्ताव तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2075–78 ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर में खसरा नम्बर 197 की खातेदारी आवेदकगण एवं अनावेदगण संख्या 5 से 10 के नाम दर्ज है एवं अनावेदक संख्या 2 व 3 के नाम खसरा नम्बर 180 की भूमि दर्ज है जो इनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। आवेदकगण ने खसरा नम्बर 179 व 180 में से 30 फिट चौड़े रास्ते के बाबत आवेदन किया है।

रिपोर्ट तहसीलदार सीकर का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिये अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा लधुतम दुरी भी प्रस्तावित रास्ते की ही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवेदकगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। तहसीलदार द्वारा अपने प्रस्ताव में आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुऐ खसरा नम्बर 180 में से ही रास्ता कटान के लिये प्रस्तावित है। नजरी नक्शा रिपोर्ट के संलग्न किया गया है। पूर्व रिपोर्ट तहसीलदार सीकर क्रमांक 25 दिनांक 31.11.2021 के अनुसार भूमि के बदले भूमि दिये जाने का नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है।

उपर्यूक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये रास्ते की अत्यन्त आवशकता है तथा रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन हेतु लघुतम दुरी का रास्ता नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार के प्रस्ताव क्रमांक 849 दिनांक 23.6. 2022 में दिये गये नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर की कृषि भमि खसरा नम्बर 180 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 197 में

7/6/7/22

उपखण्ड अधिकारी- सी

आवागमन हैतु कटान में किये जाने के आदेश दिये जाते है। अनावेदक संख्या 2 व 3 यदि भूमि के बदले भूमि लेना चाहे तो तहसीलदार के प्रस्ताव क्रमांक 25 दिनांक 31.11.2021 के नजरी नक्शे के अनुसार भूमि प्राप्त कर सकते है। यदि प्रतिफल लेना चाहे तो रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का डी.एल.सी दर का दो गुना के हिसाब से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को प्रार्थीगण द्वारा अदा किये जाने के के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार का प्रस्ताव क्रमांक 25 दिनांक 31.11.2021 एवं 849 दिनांक 23.6.2022 मय नजरी नक्शा निर्णय के भाग रहेगें। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि दोनों विकल्पों में से अनावेदक संख्या 2 व 3 जो भी विकल्प लेना चाहे उसके अनुसार आदेश की पालना करें।

निणय आज दिनांक 6.7.2022 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी सीकर